"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सिं. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014—श्रावण 17, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रणब कुमार घोष (Pranab Kumar Ghosh) पिता स्व. बलराम घोष, उम्र 54 वर्ष, निवासी-रेल्वे क्वा. नं. 457/बी, छोटा भारत माता स्कूल के पास, वायर लेस कालोनी, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम Pranab Kumar Ghosh है जो मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा-11वीं (मेट्रिक) के प्रमाण पत्र में मेरा नाम Pronob Kumar Ghosh अंकित है जिसमें स्पेलिंग त्रुटि है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Pranab Kumar Ghosh रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे Pranab Kumar Ghosh पिता स्व. बलराम घोष के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

PRONOB KUMAR GHOSH
पिता-स्व. बलराम घोष
निवासी-रेल्वे क्वा. नं. 1222/A, तारबहार, वायरलेस कालोनी
बिलासपुर-495004, मो. नं. 91-9584559805

नया नाम

PRANAB KUMAR GHOSH
पिता-स्व. बलराम घोष
निवासी-रेल्वे क्वा. नं. 457/B, भारत माता प्रायमरी स्कूल के पास, आर. एस. बिलासपुर (छ.ग.)
495004, मो. नं. 91-9584559805

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिद्धार्थ सिंह कोठारी पिता श्री शंकर सिंह कोठारी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-कामठी लाईन वार्ड नं. 24, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव का हूं. यह कि मेरा पूरा व सही नाम सिद्धार्थ सिंह कोठारी है परन्तु मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटिवश मेरा अपूर्ण नाम सिद्धार्थ कोठारी अभिलिखित है जो कि अधूरा व अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सिद्धार्थ सिंह कोठारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सिद्धार्थ सिंह कोठारी पिता श्री शंकर सिंह कोठारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सिद्धार्थ कोठारी (Siddharth Kothari) पिता-श्री शंकर सिंह कोठारी निवासी-कामठी लाईन, वार्ड नं. 24, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	सिद्धार्थ सिंह कोठारी (Siddharth Singh Kothari) पिता-श्री शंकर सिंह कोठारी निवासी-कामठी लाईन, वार्ड नं. 24, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, R. RAJU S/o Shri K. R. Kaimal, उम्र 49 वर्ष, निवासी-MIG-I/489, हुडको, आमदीनगर, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री Purnima Kaimal के कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं के मार्कशीट में मेरा नाम त्रुटिवश Raju Kaimal दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम R. RAJU रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे R. RAJU S/o Shri K. R. Kaimal के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
RAJU KAIMAL S/o Shri K. R. Kaimal निवासी-MIG-I/489 हुडको, आमदी नगर भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)	R. RAJU S/o Shri K. R. Kaimal निवासी-MIG-I/489 हुडको, आमदी नगर भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सादिया खान पति फिरोज खान निवासी-म. नं. एल-5, सेल्स टैक्स कालोनी, शंकर नगर, खम्हारडीह, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मुझे संगीता अवचट पिता श्री सोहनलाल अवचट पता रमेश सायकल स्टोर, गोलबाजार रायपुर के नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 10 मार्च 2003 को फिरोज खान निवासी एल-5, सेल्स टैक्स कालोनी, शंकर नगर, खम्हारडीह, रायपुर के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सादिया खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सादिया खान पति फिरोज खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
संगीता अवचट पिता-श्री सोहनलाल अवचट निवासी-रमेश सायकल स्टोर, गोलबाजार रायपुर (छ.ग.)	सादिया खान पति-फिरोज खान निवासी-एल-5, सेल्स टैक्स कालोनी, शंकरनगर खम्हारडीह, रायपुर (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2014

अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/791.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/627 दिनांक 15-05-2007 के तहत् खनिज सहकारी समिति मर्या. चकरभाठा, पं. क्र. 3795 दिनांक 28-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. डी. कुल्हारा, अंकेक्षण अधिकारी, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् खनिज सहकारी समिति मर्या. चकरभाठा, पं. क्र. 3795 दिनांक 28-09-1996 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 31-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2014

अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/789.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/628 दिनांक 15-05-2007 के तहत् आदर्श गिट्टी खदान सहाकारी समिति मर्या. सिलपहरी, पं. क्र. 3899 दिनांक 22-06-2006 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. डी. कुल्हारा, अंकेक्षण अधिकारी, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् आदर्श गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. सिलपरी, पं. क्र. 3899 दिनांक 22-06-2006 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 31-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2014

(छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2014/174.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/86 दिनांक 14-02-13 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गुनपुर, विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/473 दिनांक 14-01-2003 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-04-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2014

(छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उ.प.ज./परिसमापन/2014/175.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/887 दिनांक 14-09-12 के द्वारा प्राथमिक महिला बेरोजगारी सहकारी समिति मर्या. विजय वार्ड, विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक/AR/BTR/516 दिनांक 19-01-2007 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नंदनवार, स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप पंजीयक, सहकारी समितियां जगदलपुर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 30-04-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.